भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 129

02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल और आरोग्य केन्द्र

129. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्थापित आयुष सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालो/आरोग्य केन्द्रों और आयुष विश्वविद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न चरणों के दौरान राजस्थान के किन-किन जिलों में कहां-कहां उक्त संस्थानों की स्थापना के प्रस्तावों की पहचान की गई है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में जड़ी-बुटियों/औषधियों के संरक्षण और उत्पादन के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय/आयुष सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यरत किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और तदनुसार आयुष सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों/वेलनेस केंद्रों और आयुष विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना करना और मौजूदा आयुष औषधालयों और स्वास्थ्य उप केंद्रों को उन्नयन करके आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) को कार्यशील करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने देश में 160 एकीकृत आयुष अस्पतालों, जिनमें राजस्थान में 08 एकीकृत आयुष अस्पताल शामिल हैं और 12,500 एएचडब्ल्यूसी, जिनमें राजस्थान में 2019 एएचडब्ल्यूसी शामिल हैं, को मंजूरी दी है। राजस्थान अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है और अनुमोदित और कार्यशील एएचडब्ल्यूसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है। राजस्थान में एएचडब्ल्यूसी का जिला-वार विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है और अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों का विवरण **संलग्नक-IV** में दिया गया है। इसके

अलावा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, और इसे 13 नवंबर, 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

(ग): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सहित पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र योजना" कार्यान्वित कर रहा है। उपरोक्त योजना के तहत, औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की स्थापना और वन क्षेत्र में औषधीय पौधों के संसाधन संवर्धन के माध्यम से औषधीय पादपों के यथास्थान संरक्षण के लिए राज्य वन विभागों को परियोजना-आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण **संलग्नक-V** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और तदनुसार अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय/आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना राजस्थान राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय ने एसएएपी के माध्यम से राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार अजमेर में एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना के लिए 729.01 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है, जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्यशील बताया गया है। योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

*****

संलग्नक-I

अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अनुमोदित इकाइयों का नाम**	**अनुमोदित इकाइयों की वर्तमान स्थिति**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	निर्माणाधीन
2	आंध्र प्रदेश	2	1- निर्माणाधीन 1-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
3	अरुणाचल प्रदेश	5	5- निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
4	असम	8	2- कार्यशील 6-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
5	बिहार	1	निर्माणाधीन
6	चंडीगढ़	1	निर्माणाधीन
7	छत्तीसगढ़	9	8-निर्माणाधीन 1-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
8	गोवा	3	1-निर्माणाधीन 2-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
9	हरियाणा	4	1-निर्माणाधीन 3-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
10	हिमाचल प्रदेश	1	निर्माणाधीन
11	जम्मू-कश्मीर	7	निर्माणाधीन
12	झारखंड	7	निर्माणाधीन
13	कर्नाटक	3	2- कार्यशील 1-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
14	केरल	10	5-निर्माणाधीन 5-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
15	मध्य प्रदेश	11	1- संचालित 9-निर्माणाधीन 1-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
16	महाराष्ट्र	9	1- कार्यशील 3-निर्माणाधीन 5-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
17	मणिपुर	11	3- कार्यशील 1- निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 7- निर्माणाधीन
18	मेघालय	3	2-निर्माणाधीन 1-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
19	मिजोरम	2	निर्माणाधीन
20	नागालैंड	7	2- कार्यशील 2- निर्माणाधीन 3-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
21	ओडिशा	2	1-निमार्ण कार्य पूरा हो गया है।

			1-निर्माणाधीन
22	पुडुचेरी	2	1- कार्यशील 1- निर्माणाधीन
23	**राजस्थान**	**8**	**5- कार्यशील** **1- निमार्ण कार्य पूरा हो गया है।** **2- निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है**
24	सिक्किम	3	1 -कार्यशील 2- निर्माणाधीन
25	तमिलनाडु	2	1-निर्माणाधीन 1-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
26	तेलंगाना	3	निर्माणाधीन
27	त्रिपुरा	2	1 -कार्यशील 1- निर्माणाधीन
28	उत्तर प्रदेश	26	11- कार्यशील 3-निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 11- निर्माणाधीन 1-निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
29	उत्तराखंड	6	निर्माणाधीन
30	पश्चिम बंगाल	1	कार्यशील

आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की राज्यवार सूची

अनुमोदित एएचडब्ल्यूसी की वर्षवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वर्षवार एएचडब्ल्यूसी का अनुमोदन					कुल अनुमोदित एएचडब्ल्यूसी	कार्यशील एएचडब्ल्यूसी की संख्या
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
1	आंध्र प्रदेश	42	68		16		126	126
2	अरुणाचल प्रदेश	1	35	13	40		89	49
3	असम		49	40	200	211	500	289
4	बिहार		108	66	120		294	113
5	छत्तीसगढ		200	40	160		400	400
6	गोवा		9	31	34	26	100	72
7	गुजरात	190	75		100		365	292
8	हरियाणा	142	376	20	0		538	375
9	हिमाचल प्रदेश	84	56	100	500		740	303
10	झारखंड	100		167	478		745	560
11	कर्नाटक	100	6	70	200		376	376
12	केरल	40	50	150	280	180	700	426
13	मध्य प्रदेश	25	337	200	200	38	800	562
14	महाराष्ट्र	294			96		390	281
15	मणिपुर	1	2	12	0		15	15
16	मेघालय		35	10	0		45	22
17	मिजोरम		24	14	0	3	41	38
18	नागालैंड	2	47		0		49	47
19	ओडिशा		100	150	172		422	250
20	पंजाब	100	17	41	0		158	0
21	राजस्थान		500	500	1019		2019	1687
22	सिक्किम		18		0		18	18
23	तमिलनाडु	48	92	110	400		650	350
24	तेलंगाना			421	0		421	421
25	त्रिपुरा		38	7	27		72	38
26	उत्तर प्रदेश	324	268	279	163		1034	765
27	उत्तराखंड		70	230	0		300	268
28	पश्चिम बंगाल	20	80	171	269		540	520
29	अंदमान		6		0		6	6
30	चंडीगढ़	5		1	6		12	5
31	दिल्ली				0		0	0
32	दा. एवं न. हवेली और दमण व दीव				1		1	1
33	जम्मू-कश्मीर	94	100	123	125	81	523	442

34	लद्दाख			0	0		0	0
35	लक्षद्वीप		3	2	2		7	7
36	पुडुचेरी	3		1	0		4	4
	कुल	**1615**	**2769**	**2969**	**4608**	**539**	**12500**	**9128**

राजस्थान में जिलेवार अनुमोदित एएचडब्ल्यूसी

क्र.सं.	जिलों का नाम	अनुमोदित आयुष एचडब्ल्यूसी इकाइयों की संख्या					कुल
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	
1	अजमेर	0	18	15	38	0	71
2	अलवर	0	24	26	52	0	102
3	बांसवाड़ा	0	15	15	30	0	60
4	बारां	0	8	9	17	0	34
5	बाड़मेर	0	14	15	25	0	54
6	भरतपुर	0	18	22	50	0	90
7	भीलवाड़ा	0	25	22	51	0	98
8	बीकानेर	0	15	17	28	0	60
9	बूंदी	0	8	8	18	0	34
10	चित्तौड़गढ़	0	13	15	25	0	53
11	चुरू	0	15	18	33	0	66
12	दौसा	0	14	13	29	0	56
13	धौलपुर	0	7	7	15	0	29
14	डूंगरपुर	0	16	15	33	0	64
15	श्रीगंगानगर	0	12	11	22	0	45
16	हनुमानगढ़	0	13	12	25	0	50
17	जयपुर	0	40	47	75	0	162
18	जैसलमेर	0	5	4	9	0	18
19	जालोर	0	9	8	19	0	36
20	झालावाड़	0	11	11	26	0	48
21	झुंझुनूं	0	22	22	42	0	86
22	जोधपुर	0	17	16	35	0	68
23	कोटा	0	8	8	15	0	31
24	करौली	0	10	10	22	0	42
25	नागौर	0	22	21	41	0	84
26	पाली	0	18	18	41	0	77
27	प्रतापगढ़	0	7	6	13	0	26
28	राजसमंद	0	14	12	27	0	53
29	सीकर	0	22	21	47	0	90
30	सवाईमाधोर	0	12	11	24	0	47
31	सिरोही	0	9	7	18	0	34
32	टोंक	0	14	13	**26**	0	53
33	उदयपुर	0	25	25	48	0	98
कुल		**0**	**500**	**500**	**1019**	**0**	**2019**

संलग्नक-IV

राजस्थान में अनुमोदित 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**स्थान**	**अनुमोदन का वर्ष**	**स्थिति**
राजस्थान	भीलवाड़ा	2017-18	कार्यशील
	अजमेर	2017-18	कार्यशील
	चुरू	2017-18	कार्यशील
	बीकानेर	2017-18	कार्यशील
	जयपुर	2018-19	कार्यशील
	सीकर	2019-20	निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
	सवाई माधोपुर	2023-24	निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है
	भरतपुर	2023-24	निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है

अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों (50 बिस्तरों वाले) का वर्षवार ब्यौरा							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अवधि के दौरान अनुमोदित इकाइयां**					
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	**अंदमान और निकोबार द्वीप**	-	1	-	-	-	-
2	**अरुणाचल प्रदेश**	-	-	-	-	2	-
3	**आंध्र प्रदेश**	-	-	-	-	-	-
4	**असम**	-	-	-	-	6	-
5	**बिहार**	-	-	-	-	-	-
6	**चंडीगढ़**	-	-	-	-	-	-
8	**गोवा**	-	-	-	-	1	-
9	**हरियाणा**	-	-	-	-	-	-
10	**हिमाचल प्रदेश**	-	-	-	-	-	-
11	**जम्मू-कश्मीर**	2	-	1	-	-	-
12	**झारखंड**	-	1	-	-	1	-
13	**कर्नाटक**	-	-	-	-	-	-
14	**केरल**	-	1	-	-	1	2
15	**महाराष्ट्र**	-	-	-	-	-	4
-17	**मध्य प्रदेश**	1		-	-	-	-
18	**मेघालय**	-	1	-	-	-	-
19	**मिजोरम**	-	-	-	-	-	-

20	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
21	ओडिशा	-	1	-	-	-	-
22	पुडुचेरी	1	-	-	-	-	-
23	राजस्थान	1	1	-	-	-	2
-24	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	1	-	-	-	1	1
26	तेलंगाना	-	-	-	-	-	3
27	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
28	उत्तर प्रदेश	3	-	-	-	1	-
29	उत्तराखंड	2	-	-	-	2	-
30	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-
31	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
32	पंजाब	-	-	-	-	-	-
31	गुजरात	-	-	-	-	1	-

संलग्नक-V

एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सहित पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना" कार्यान्वित कर रही है। उपरोक्त योजना के तहत, वन क्षेत्रों में औषधीय पादपों के संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की स्थापना और औषधीय पादपों के संसाधन संवर्द्धन के माध्यम से औषधीय पादपों के यथास्थान संरक्षण के लिए राज्य वन विभागों को परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य में जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रू. में)

वर्ष	**जारी निधि**	**उपयोग की गई निधि**
2018-19	263.38	137.82
2019-20	186.36	101.17
2020-21	27.34	88.08
2021-22	-	-
2022-23	-	-
2023-24	-	-

नोट: जारी और उपयोग की गई राशि के आंकड़ों में नई स्वीकृत और चल रही दोनों परियोजनाएं शामिल हैं।